



## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- बूंदी में तकनीकी सहायक (लाइनमैन) 4500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 23 जुलाई। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये फूलचन्द तकनीकी सहायक (लाइनमैन) फीडर नोताड़ा, जी.एस.एस. जमीतपुरा, जिला बूंदी को परिवारी से 4500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवारी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कृषि कनेक्शन पर अधिक क्षमता की मोटर चलाने देने व डीपी दिलवाने की एवज में फूलचन्द तकनीकी सहायक (लाइनमैन) फीडर नोताड़ा, जी.एस.एस. जमीतपुरा, जिला बूंदी द्वारा 5 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बूंदी के उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचन्द के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री ताराचंद एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये फूलचन्द पुत्र श्री प्रभूलाल माली निवासी नया बरधा, पुलिस थाना तालेड़ा, जिला बूंदी हाल तकनीकी सहायक (लाइनमैन) फीडर नोताड़ा, जी.एस.एस. जमीतपुरा, जिला बूंदी को परिवारी से 4500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।